आखर हिंदी पत्रिका ; e-ISSN-2583-0597 खंड 2/अंक 3/सितंबर 2022
Received: 13/09/2022; Accepted: 14/09/2022; Reviewed: 20/09/2022; Published: 24/09/2022

एक राष्ट्र, एक भाषा

- डॉ. शाफिया फरहिन,
अध्यक्ष, हिंदी विभाग,
पी.ई.एस कॉलेज ऑफ साइंस, कोमर्स एण्ड आर्ट्स,
मंड्या (कर्नाटक)
ई-मेल: shafiyafarheen01@gmail.com
मो: 9035509186

डॉ. शाफिया फरहिन, एक राष्ट्र, एक भाषा, आखर हिंदी पत्रिका, खंड 2/अंक 3/सितंबर 2022, (213-218)

भाषा किसी भी देश की महत्वपूर्ण इकाई और पहचान होती है। जब भी हम किसी देश का नाम लेते हैं तो साथ ही साथ वहाँ की राष्ट्रभाषा की कल्पना हमारे मस्तिष्क में आ जाती है। जैसे यदि हम चीन का नाम लेते हैं तो चीनी, कोरिया का नाम लें तो कोरियन, जापान की जापानी । वैसे ही हम हिंदुस्तान का नाम लेते हैं तो हमारे ज़हन में सबसे पहले जिस भाषा का ध्यान आता है वह हिंदी भाषा है।

विभिन्न राज्यों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार की गई समृद्ध भाषा को ही राष्ट्रभाषा कहा जाता है। जिसमें राष्ट्र की संस्कृति और साहित्य तथा ऐतिहासिक तत्वों का समावेश होता है और जो संपर्क भाषा का काम करती है। मनोहर धरफले अपने आलेख 'हिंदी और हम' में लिखते हैं- "भारतीय संविधान के अनुसार हमें अपने राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीयता को उचित सम्मान देना चाहिए। उसी सम्मान की अधिकारिणी हमारी राजभाषा हिंदी भी है।"[i] वैसे तो भारत में कुल 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा मिला हुआ है, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी के साथ-साथ असमी, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संतली, सिंधी, तमिल, तेलुगू, बोड़ो, डोगरी, बंगाली और गुजराती शामिल हैं । डॉ. राजेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं- "राजभाषा का प्रश्न अन्य भाषाओं की अस्मिता और देश की एकता और अखंडता से जुडा है।"[ii] हमारी संविधान सभा ने लंबी बहस के बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया तथा साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं को भी आठवीं अनुसूची में संवैधानिक दर्जा दिया। लेकिन जब बात हिंदी की आती है

तब यह ज्ञात रखना अति आवश्यक है- "शासन द्वारा जनता के साथ और जनता द्वारा शासन के साथ पत्राचार और व्यवहार हिंदी में होता रहे तभी राजभाषा शब्द की सार्थकता है।"[iii]

भाषा के विषय में महात्मा गांधी जी के विचारों पर बात करते हुए, उपराष्ट्रपति श्री नायडू जी ने कहा था- "महात्मा गांधी के लिए भाषा का प्रश्न, देश की एकता का सवाल था। उनका मानना था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा होता है।"[iv] वैसे तो गांधीजी मातृभाषा को अधिक महत्व दिया करते थे लेकिन जब बात राष्ट्रभाषा की आती तो वे हिंदी के समर्थक थे। सन् 1906 में उन्होंने अपनी प्रार्थना में कहा था – कि "भारत लू जनता से एक रूप होने की शक्ति औत उत्कण्ठा दे। हमें त्याग, भक्ति और नम्रता की मूर्ति बना जिससे हम भारत देश को ज्यादा समझें, ज्यादा चाहें। हिन्दी एक ही है। उसका कोई हिस्सा नहीं है हिन्दी के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी मुझे इस दुनिया में प्यारा नहीं है।"

इस प्रार्थना द्वारा उनका राष्ट्र-प्रेम और राष्ट्रीय एकता के प्रति उनका अनुराग परिलक्षित होता है। गांधी जी भाषा को माता मानते थे और हिन्दी का सबल समर्थन करते थे। उन्होंने 'हिन्द स्वराज्य' (सन् 1909 ई.) में अपनी भाषा-नीति की घोषणा इस प्रकार की थी- "सारे हिन्दुस्तान के लिए जो भाषा चाहिए, वह तो हिन्दी ही होनी चाहिए। उसे उर्दू या नागरी लिपि में लिखने की छूट होनी चाहिए। हिन्दू-मुसलमानों के संबंध ठीक रहें, इसलिए हिन्दुस्तानियों को इन दोनों लिपियों को जान लेना ज़रूरी है। ऐसा होने से हम आपस के व्यवहार में अंग्रेजी को निकाल सकेंगे।"

महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम में जनसंपर्क हेतु हिन्दी को ही सर्वाधिक उपयुक्त भाषा समझते थे। सन् 1917 ई. में कलकत्ता (कोलकाता) में कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर राष्ट्रभाषा प्रचार संबंध कांफ्रेन्स में तिलक ने अपना भाषण अंग्रेजी में दिया था। जिसे सुनने के बाद गांधीजी ने कहा था कि "बस इसलिए मैं कहता हूँ कि हिंदी सीखने की आवश्यकता है। मैं ऐसा कोई कारण नहीं समझता कि हम अपने देशवासियों के साथ अपनी भाषा में बात न करें। वास्तव में अपने लोगों के दिलों तक तो हम अपनी भाषा के द्वारा ही पहुंच सकते हैं।"[v] और वह भाषा हिंदी ही हो सकती है। असल मुद्दा मानसिकता का भी है क्योंकि अपनी भाषा से प्रेम करना और उस पर गर्व करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए।

"गांधीजी ने सन् 1935 में इंदौर में ही संपन्न हिंदी साहित्य सम्मेलन के 24 वें अधिवेशन में भाषण में राष्ट्रीय एवं व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से हिंदी के महत्व को रेखांकित किया । इस दौरान गांधीजी ने यह भी कहा कि हमें किसी भी प्रांतीय भाषा को मिटाना नहीं है । हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि विभिन्न प्रांत अपने पारस्परिक संबंधों के लिए तथा आदान - प्रदान के लिए हिंदी का ही प्रयोग करें । अन्य प्रांतों को यह बात स्वीकारनी पडेगी।"[vi]

जब 14 सितम्बर सन् 1949 ई. को संविधान सभा ने हिन्दी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया तब महात्मा गांधी की इच्छा, अनेक जन-नायकों की भावना और असंख्य भारतीयों की कामना ने मूर्त रूप ग्रहण किया। गांधी जी ने हिन्दी के सम्बंध में ही कहा था कि "सही मायने में कोई भी देश तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकता, जब तक वह अपनी भाषा में नहीं बोलता।" उनके अनुसार हिंदी ही ऐसी भाषा है जो देशवासियों को एक सूत्र में बांधने का काम कर सकती है।

हिंदी भाषा और साहित्य की यदि बात की जाए तो हय ज्ञात होता है कि यह संतों की भाषा रही है। भले ही खडी बोली नहीं लेकिन ब्रज अवधी। भारत की आत्मा 'हिंदी' का उपयोग कई लोगों ने अपनी-अपनी आवश्यकता के अनुसार किया है। आर्य समाज ने इसे अपने प्रचार-प्रसार के लिए उपयोग किया, तो ईसाई पादरियों में अपने ग्रंथ हिंदी में अनूदित कर, धर्म प्रचार के लिए इसका सहारा लिया। राजा महाराजाओं ने अपने प्रशासनिक कार्य के लिए इसका उपयोग किया। साथ ही हिंदी का उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाली कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षण शिबिरों में होता आ रहा है।

जैसे हर भारतीय भाषा का अपना गौरवशाली इतिहास है, वैसे ही हिंदी साहित्य सबसे समृद्ध है, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में भाषाई विविधता है। हमारी भाषाई विविधता हमारी शक्ति है क्योंकि हमारी भाषाएं हमारी सांस्कृतिक एकता को अभिव्यक्त करती हैं । 'डॉ. राजेंद्र प्रसाद' जी ने कहा है - जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है, वह कभी समृद्ध नहीं हो सकता डॉ. अंबेडकर भाषा को राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक मानते थे। और 'कमलापति त्रिपाठी' जी भी कहते हैं कि "हिन्दी भारतीय संस्कृति की आत्मा है।"

कहा जाता है, विविधता में एकता, वैसे ही भाषा की विविधता में एकता लाने की क्षमता हिंदी में है। इसीलिए एक राष्ट्र के लिए एक ही भाषा ज़रूरी है। क्योंकि हिंदी आज विश्व भर में अत्यधिक बोले जाने वाली भाषाओं की सूची में आ गई है, इसलिए भारत में हिंदी ही राष्ट्रभाषा बन सकती है। वैश्विक हिंदी शोध संस्थान के महानिदेशक, डॉ. जयंती प्रसाद नौटियाल जी ने हाल ही में हिंदी को विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा सिद्ध किया है। उनके अनुसार विश्व भर में 1450 मिलियन लोग हिंदी जानते हैं और भारत में यह आंकडा 50 करोड के पार है। बी.बी.सी की एक खबर के अनुसार इस समय विश्व में 54.5 करोड़ (545000000) हिंदी बोलने वाले हैं और गैर हिंदी भाषी देशों के लोग भी हिंदी सीख रहे हैं।

वैसे तो त्रिभाषा सूत्र के अनुसार हिंदी दक्षिण भारत में तृतीय भाषा के रूप में पढाई जा रही है लेकिन इसके अतिरिक्त रचनात्मक कार्य भी यहाँ के साहित्यकारों द्वारा किया जा रहा है। अनुवाद के माध्यम से भी साहित्यिक विषयों का आदान प्रदान हो रहा है। आज सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों के परिपत्र, आवेदन पत्र आदि में तीन भाषाएं देखने को मिल ही जाती हैं।

प्रांतीय भाषा को जितना महत्व दिया जाता है, उतना महत्व हिंदी को भले ही नहीं दिया जाता लेकिन, दक्षिण भारत में भी हिंदी सीखना अनिवार्य कर दिया गया है इसलिए यह पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि हिंदी को उसका उचित स्थान अवश्य मिल जाएगा।

असल में हिंदी प्रांतीय भाषाओं के स्थान में नहीं बल्कि उनके सिवाय अन्तर्प्रान्तीय विनिमय के लिए, एक राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाई जानी चाहिए। यदि हिन्दी अंग्रेज़ी का स्थान ले ले तो अच्छा रहेगा। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन वह राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। अगर हिन्दुस्तान को सचमुच हमें एक राष्ट्र बनाना है तो चाहे कोई माने या न माने राष्ट्रभाषा तो हिन्दी ही बन सकती है। क्योंकि हिंदी बारे में गौर किया जाए तो यह तो ज्ञात ही है कि-

- हिंदी भाषा एक अति विशाल जनसमूह की भाषा है, जो सीमाओं के बंधन को तोड़कर, आज वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है।
- सृजन और अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी दुनिया की अग्रणी भाषाओं में से एक है। भारत में हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत है क्योंकि भारतीय भाषाओं और बोलियों के बीच में जनता ने इसे संपर्क भाषा के रूप में चुना है। आज वैश्वीकरण की दौड़ में जैसे-जैसे विश्व में भारत के प्रति दिलचस्पी बढ़ रही है वैसे-वैसे हिंदी के प्रति भी रुझान बढ़ रहा है।
- आज परिवर्तन और विकास की भाषा के रूप में हिंदी के महत्व को नए सिर से रेखांकित किया जा रहा है। हिंदी आज सिर्फ साहित्य और बोलचाल की भाषा नहीं, बल्कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी से लेकर संचार क्रांति और सूचना प्रौद्योगिकी से लेकर व्यापार की भाषा भी बनने की ओर अग्रसर है।

हिंदी को एक ही राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने में असल में भाषागत स्पर्धा भी प्रमुख समस्या है। हरीश द्विवेदी के अनुसार "Further all the languages perceive Hindi with some apprehension as being a threat to their own survival, fearing its alleged expressionism, indeed 'imperialism'. At the same time all these other Indian languages also seems to believe that just because they are smaller than Hindi, they are by that token also more beautiful."[vii]

इस सब के बावजूद राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को निम्नलिखित आधार पर स्वीकार किया जा सकता है-

- आज कल हिंदी का कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिशल इंटेलिजेंस) के लिए भी सर्वाधिक उपयुक्त भाषा माना जा रहा है। ज्यों कि इसका व्याकरण संस्कृत से अनुप्राणित है, यह स्वाभाविक रूप से अपवाद रहित, स्पष्ट, आसान और सरल भाषा है।
- हिंदी की सबसे बडी विशेषता यह भी है कि इसकी वर्णमाला अन्य भाषाओं की तुलना में सर्वाधिक सुव्यवस्थित है। हिंदी भाषा की लिपि (देवनागरी) विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। इसमें प्रत्येक

ध्वनि के लिए एक निश्चित लिपि चिह्न का प्रयोग होता है और एक लिपि चिह्न एक ही ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है।

- इसके अलावा एक और विशेषता यह भी है कि इसकी वर्णमाला ध्वन्यात्मक होने के कारण प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग-अलग लिपि चिह्न है जिसके कारण जो बोला जाता है वही लिखा भी जाता है यहाँ अंग्रेज़ी की तरह कोई मूक अक्षर (साइलेंट लेटेर) नहीं मिलता।
- हिंदी का शब्दकोश भी अत्यंत विशाल है, जिसमें 2.5 लाख से भी अधिक शब्द हैं जो वस्तु, कार्य, भाव आदि को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त हैं।
- हिंदी भाषा की विशेषता ये भी है कि इसने अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करने में कभी कोई संकोच नहीं किया। जब और जहाँ आवश्यकता हुई, हिंदी भाषा में नए शब्द शामिल होकर हिंदी के अपने हो गये और हिंदी की समृद्धि बढ़ती गई। और इसमें निर्जीव वस्तुओं के लिए भी लिंग का निर्धारण होता है।
- हिंदी पूर्णतः व्यावहारिक भाषा है जिसमें अलग-अलग रिश्तों के लिए अलग-अलग वैकल्पिक शब्द मिल जाते हैं। अंग्रेज़ी की तरह कई रिश्तों के लिए एक ही शब्द पर बोझ नहीं डाला जाता। उदा: बेटी, बच्ची, लडकी, स्त्री, औरत, महिला आदि।
- प्रयोग की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी इतनी समृद्ध है कि इसकी पाँच उपभाषाएं और सोलह बोलियाँ प्रचलित हैं, जिनमें से कई उपभाषाओं तथा बोलियों में प्रचुर मात्रा में साहित्य भी आज उपलब्ध है।

विश्व भर की भाषाओं की तुलना में हिंदी ऐसी भाषा है जो बहुत आसानी से सीखी जा सकती है। जिसके कारण **गूगल फायर फॉक्स और क्रोम** जैसे सर्च इंजन ने इसे अपनी सेवा में शामिल किया है। जिसके कारण इंटरनेट पर हिंदी का प्रयोग बढ रहा है। **विकीपीडिया** के कारण आज लग-भग हर सामग्री हिंदी में उपलब्ध है। और सोशल मीडिया पर भी हिंदी प्रयोग करने वालों की संख्या दिन-ब-दिन बढती जा रही है। जिसका श्रेय यूनिकोड जैसे फॉन्ट को दिया जा सकता है क्योंकि इसके आने के बाद हिंदी और भी सरल व समृद्ध हो गई है।

डिजिटल क्रांति के इस युग में वेबसाइट्स, ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग, और फेसबुक, ट्विटर व इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप्स ने तो हिंदी का दायरा और भी बढ़ा दिया है। आज तो गूगल, अलेक्सा और सीरी भी हिंदी बोलती हैं। हिंदी का उपयोग आज ग्राहकों तक पहुंचने के लिए किया जा रहा है। जहाँ लोग अंग्रेज़ी की ओर खिंचे जा रहे हैं, वहीं बडी-बडी कम्पनियाँ हिंदी और अन्य प्रांतीय भाषाओं का सहारा अपने उत्पाद बेचने के लिए ले रही हैं जिसका उदाहरण बैंकिंग तथा ई-कॉमर्स जैसी वेबसाइट्स हैं।

हमारे देश की आत्मा हिंदी है जो आज विश्व भर में लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, जो कि हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता का परिचायक है। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय में फ्रेंच, स्पेनिश, चीनी, जापानी आदि विदेशी भाषाओं को हिंदी माध्यम में पढ़ाया जा रहा है। इसका कारण यह है कि गांधीजी चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करे, उसमें कार्य करे किंतु देश में

सर्वाधिक बोली जाने वाली हिन्दी भाषा भी वह सीखे। यही कारण है कि अधिकतर लोग हिंदी को ही राष्ट्रभाषा मानते हैं। और इसकी बढती लोकप्रियता तथा प्रचार-प्रसार पर गौर किया जाए तो निश्चित ही हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा बन सकती है।

ऐसे समय में जबकि भारत तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है और सारी दुनिया की निगाहें भारत की ओर लगी हैं, भारत के विकास के साथ ही दुनिया में हिंदी का महत्व बढ़ना भी निश्चित है। हिंदी पूरे भारत और दुनिया के कई देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, मॉरीशस, सूरीनाम, फिज़ी, गुयाना, मलेशिया, त्रिनिनाड एवं टोबैगो, नेपाल आदि में बोली और समझी जाने वाली भाषा है।

उपर्युक्त विवेचन के बाद यह तो तय है कि हिंदी अवश्य ही देश की भाषा बन सकती है लेकिन उसको लेकर हमारे बीच जो समस्या है तो वह यह कि आज हिंदी वालों के लिए निजी क्षेत्र में ज्यादा पैसे वाली नौकरियां नहीं हैं। हिंदी को आगे बढ़ना है तो पहले हिंदी में चलने वाले उद्योगों जैसे- मनोरंजन, कला, समाचार, धारावाहिक और रेडियो का संपूर्ण हिंदीकरण होना चाहिए। इतनी पावन एवं उज्ज्वल परम्परा रखनेवाली हमारी भाषा, राजभाषा हिंदी को अंतर्मन से स्वीकार कर अपने सभी कार्यों में उसका पूर्णरूप से प्रयोग करना ही हमारे राष्ट्रप्रेम का द्योतक है।

संदर्भ ग्रंथ:

[i] हिंदी और हम, मनोहर धरफले, राजभाषा भारती, अंक-124, पृ. 1 जनवरी-मार्च, 2009

[ii] हिंदी: राजभाषा से जनभाषा तक, राजभाषा भारती, अंक-104, पृ. 5, जनवरी-मार्च, 2004

[iii] हिंदी और हम, मनोहर धरफले, राजभाषा भारती, अंक-124, पृ. 1 जनवरी-मार्च, 2009

[iv]https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1787360#:~:text4

[v]https://www.deshbandhu.co.in/parishist

[vi]राष्ट्र राजभाषा के संदर्भ में हिंदी आंदोलन का इतिहास उदय नारायण दुबे, पू. सं. 155, 156

[vii] Dr. Harish Dwiwedi : Hindi now: privilege and predicament, 1994

****